

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अजः शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि र-जवी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये
اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

तरजमा : ऐ अब्लाह! عَزَّوَجَلَّ! हम पर इल्म व हिक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी
रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ-ज़मत और बुजुर्गी वाले। (المستطرف ج 1، ص 4، دارالفكر بيروت)

नोट : अब्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

तालिबे गुमे मदीना
व बकीअ
व मग़िफ़रत



13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

अब्लक घोड़े सुवार

येह रिसाला (अब्लक घोड़े सुवार)

शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि र-जवी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ ने उर्दू ज़बान में तहरीर
फ़रमाया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर
पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी
पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअए मक्तूब या ई-मेइल) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा,

अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409

E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अब्लक़ घोड़े सुवार

शैतान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला (48 सफ़हात) आख़िर
 तक पढ़ लीजिये **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** कुरबानी के मु-तअल्लिक़
 काफ़ी मा 'लूमात मिलेंगी ।

दुरुद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने आफ़ियत निशान है : “ऐ लोगो !
 बेशक बरोजे कियामत इस की दहशतों और हि़साब किताब से जल्द
 नजात पाने वाला शख़्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के
 अन्दर ब कसरत दुरूद शरीफ़ पढ़े होंगे ।”

(أَلْفَرَدَّوَسُ بِمَأْثُورِ الْخُطَابِ ج ٥ ص ٢٧٧ حَدِيثُ ٨١٧٥)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

अब्लक़ घोड़े सुवार

हज़रते सय्यिदुना अहमद बिन इस्हाक़ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّزَّاقِ फ़रमाते
 हैं : मेरा भाई बा वुजूदे गुरबत रिज़ाए इलाही की निय्यत से हर
 साल ब-क़रह ईद में कुरबानी किया करता था । उस के इन्तिक़ाल

फ़रमावे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** (سَلِّمْ) है। उस पर दस रहमते भेजता है।

के बा'द मैं ने एक ख़्वाब देखा कि क़ियामत बरपा हो गई है और लोग अपनी अपनी क़ब्रों से निकल आए हैं, यकायक मेरा मर्हूम भाई एक अब्लक़ (या'नी दो रंगे चितकुब्रे) घोड़े पर सुवार नज़र आया, उस के साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। मैं ने पूछा : يَا أَخِي! مَا فَعَلَ اللهُ تَعَالَى بِكَ? या'नी ऐ मेरे भाई! अल्लाह तआला ने आप के साथ क्या मुआ-मला फ़रमाया? कहने लगा : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने मुझे बख़्श दिया। पूछा : किस अमल के सबब? कहा : एक दिन किसी ग़रीब बुढ़िया को ब निय्यते सवाब मैं ने एक दिरहम दिया था वोही काम आ गया। पूछा : येह घोड़े कैसे हैं? बोला : **येह सब मेरी ब-क़रह ईद की कुरबानियां हैं और जिस पर मैं सुवार हूं येह मेरी सब से पहली कुरबानी है।** मैं ने पूछा : अब कहां का अज़म है? कहा : जन्नत का। येह कह कर मेरी नज़र से ओझल हो गया। (دُرَّةُ النَّاصِحِينَ ص २१०) **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग़िफ़रत हो।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

“अल्लाह” के चार हुरूफ़ की निस्बत
से चार फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿1﴾ कुरबानी करने वाले को कुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है (ترمذی ج ३ ص १६२ حدیث १६९८) ﴿2﴾ जिस ने खुश दिली से तालिबे सवाब हो कर कुरबानी की, तो वोह

फ़रमाने मुख़्तार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शख़्स मुझ पर दुरुद पाक पढ़ना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया । (طبرانی)

आ-तशे जहन्नम से हिजाब (या'नी रोक) हो जाएगी (2736) **﴿3﴾** ऐ फ़ातिमा ! अपनी कुरबानी के पास मौजूद रहो क्यूं कि इस के खून का पहला क़तरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएंगे (19161) **﴿4﴾** जिस शख़्स में कुरबानी करने की वुस्अत हो फिर भी वोह कुरबानी न करे तो वोह हमारी ईदगाह के क़रीब न आए । (3123) (इबन माज 3 ज 29 529) **﴿4﴾**

क्या कर्ज़ ले कर भी कुरबानी करनी होगी ?

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जो लोग कुरबानी की इस्तिताअत (या'नी ताक़त) रखने के बा वुजूद अपनी वाजिब कुरबानी अदा नहीं करते, उन के लिये लम्हए फ़िक्रिय्या है, अव्वल येही ख़सारा (या'नी नुक़सान) क्या कम था कि कुरबानी न करने से इतने बड़े सवाब से महरूम हो गए मज़ीद येह कि वोह गुनाहगार और जहन्नम के हक़दार भी हैं । फ़तावा अम्जदिय्या जिल्द 3 सफ़हा 315 पर है : “अगर किसी पर कुरबानी वाजिब है और उस वक़्त उस के पास रुपै नहीं हैं तो कर्ज़ ले कर या कोई चीज़ फ़रोख़्त कर के कुरबानी करे ।”

पुल सिरात की सुवारी

सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार, बि इज़्जे परवर दगार दो अ़ालम के मालिको मुख़्तार, शहन्शाहे अबरार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने खुशबूदार है : इन्सान ब-क़रह ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ को खून बहाने से ज़ियादा प्यारी हो, येह कुरबानी क़ियामत में अपने सींगों

फ़रमाने मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्क हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद पाक न पढा तहकीक वोह बद बख़्त हो गया । (अिन)

बालों और खुरों के साथ आएगी और कुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के हां क़बूल हो जाता है । लिहाज़ा खुश दिली से कुरबानी करो ।
 (मुहबिक्क़े अलल इल्लाक़, ख़ातिमुल मुहद्दीसीन, (त्रिपुडि ज ३ व १२२ अडिथ १६९८)
 हज़रते अल्लामा शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दीस देहलवी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : कुरबानी, अपने करने वाले के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी जिस से नेकियों का पलड़ा भारी होगा । (اشعة اللّٰمعات ج १ ص १०६)
 अल्लामा अली क़ारी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِي फ़रमाते हैं : फिर उस के लिये सुवारी बनेगी जिस के ज़रीए येह शख़्स ब आसानी पुल सिरात से गुज़रेगा और उस (जानवर) का हर उज़्व मालिक (या'नी कुरबानी पेश करने वाले) के हर उज़्व (के लिये जहन्नम से आज़ादी) का फ़िदया बनेगा ।

(مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ ج ३ ص ०७६ نَحْتُ الْحَدِيثِ १६७) , मिरआत, जि. 2, स. 375)

कुरबानी करने वाले बाल नाख़ुन न काटें

मुफ़रिसरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ एक हदीसे पाक (जब अ-शरा आ जाए और तुम में से कोई कुरबानी करना चाहे तो अपने बाल व खाल को बिल्कुल हाथ न लगाए) के तहत फ़रमाते हैं : “या'नी जो अमीर वुजूबन या फ़कीर नफ़्लन कुरबानी का इरादा करे वोह ज़ुल हिज्जतिल हुराम का चांद देखने से कुरबानी करने तक नाख़ुन बाल और (अपने बदन की) मुर्दार खाल वगैरा न काटे न कटवाए ताकि हाजियों से क़दरे (या'नी थोड़ी) मुशा-बहत हो जाए कि वोह लोग एहराम में हज़ामत नहीं करा सकते और ताकि कुरबानी हर बाल, नाख़ुन

फ़रमाते मुस्तहब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (मुस्ताहब)

(के लिये जहन्नम से आज़ादी) का फ़िदया बन जाए । यह हुक्म इस्तिहबाबी है वुजूबी नहीं (या'नी वाजिब नहीं, मुस्तहब है और हत्तल इम्कान मुस्तहब पर भी अमल करना चाहिये अलबत्ता किसी ने बाल या नाखुन काट लिये तो गुनाह भी नहीं और ऐसा करने से कुरबानी में ख़लल भी नहीं आता, कुरबानी दुरुस्त हो जाती है) लिहाज़ा कुरबानी वाले का हज़ामत न कराना बेहतर है लाज़िम नहीं । इस से मा'लूम हुवा कि अच्छों की मुशा-बहत (या'नी नक्ल) भी अच्छी है ।”

ग़रीबों की कुरबानी

मुफ़ती साहिब رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ मज़ीद फ़रमाते हैं : “बल्कि जो कुरबानी न कर सके वोह भी इस अ-शरह (या'नी जुल हिज्जतिल हराम के इब्तिदाई दस अय्याम) में हज़ामत न कराए, ब-करह ईद के दिन बा'दे नमाज़े ईद हज़ामत कराए तो إِن شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ (कुरबानी का) सवाब पाएगा ।”

(मिरआतुल मनाज़ीह, जि. 2, स. 370)

मुस्तहब काम के लिये गुनाह की इजाज़त नहीं

याद रहे ! चालीस दिन के अन्दर अन्दर नाखुन तराशना, बग़लों और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना ज़रूरी है 40 दिन से ज़ियादा ताख़ीर गुनाह है चुनान्चे मेरे आका आ'ला हज़रत इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ फ़रमाते हैं : येह (या'नी जुल हिज्जा के इब्तिदाई दस दिन में नाखुन वग़ैरा न काटने का) हुक्म सिर्फ़ इस्तिहबाबी है, करे तो बेहतर है न करे तो मुज़ा-यका नहीं, न इस

फ़रमाने मुस्तहब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़ा उस ने जफ़ा की। (मोलाज़ान)

को हुक्म उदूली (या'नी ना फ़रमानी) कह सकते हैं, न कुरबानी में नक्स (या'नी खामी) आने की कोई वजह, बल्कि अगर किसी शख़्स ने 31 दिन से किसी उज़्र के सबब ख़्वाह बिला उज़्र नाखुन न तराशे हों कि चांद ज़िल हिज्जा का हो गया तो वोह अगर्चे कुरबानी का इरादा रखता हो इस मुस्तहब पर अमल नहीं कर सकता कि अब दसवीं तक रखेगा तो नाखुन तरश्वाए हुए इक्तालीसवां दिन हो जाएगा और चालीस दिन से ज़ियादा न बनवाना गुनाह है। फ़े'ले मुस्तहब के लिये गुनाह नहीं कर सकता।

(मुलख़ब्स अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 353, 354)

कुरबानी वाजिब होने के लिये कितना माल होना चाहिये

हर बालिग़, मुक़ीम, मुसल्मान मर्द व औरत, मालिके निसाब पर कुरबानी वाजिब है। (एल्किरी ज 5, स 292) मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास साढ़े बावन तोले चांदी या उतनी मालिय्यत की रक़म या उतनी मालिय्यत का तिजारत का माल या उतनी मालिय्यत का हाजते अस्लिय्या के इलावा सामान हो और उस पर **اَللّٰهُمَّ** عَزَّوَجَلَّ या बन्दों का इतना कर्जा न हो जिसे अदा कर के ज़िक्र कर्दा निसाब बाकी न रहे। फु-क़हाए किराम **رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام** फ़रमाते हैं हाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उमूमन इन्सान को ज़रूरत होती है और इन के बिगैर गु-ज़रे अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्मे दीन से मु-तअल्लिक़ किताबें, और पेशे से मु-तअल्लिक़ औज़ार

फ़रमाते मुस्वफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर रोज़े जुमुआ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा। (क़ुरआन)

वग़ैरा। (الهداية ج 1 ص 96) अगर “हाजते अस्लिय्या” की ता’रीफ़ पेशे नज़र रखी जाए तो बख़ूबी मा’लूम होगा कि “हमारे घरों में बे शुमार चीज़ें” ऐसी हैं कि जो हाजते अस्लिय्या में दाख़िल नहीं चुनान्चे अगर इन की क़ीमत “साढ़े बावन तोला चांदी” के बराबर पहुंच गई तो **क़ुरबानी वाजिब** होगी।

अगर किसी शख़्स के पास रिहाइशी मकान के इलावा मकान हो जो कि किराए पर हो या इस्ति’माली गाड़ियों के इलावा गाड़ियां हों जो किराए पर हों और उन के किराए पर ही उस शख़्स की गुज़र बसर हो, इन चीज़ों की आमदनी ही उस के अहलो इयाल के नफ़के (या’नी गुज़ारे) के लिये हो यूंही ज़िराअती (या’नी खेतीबाड़ी की) ज़मीन हो या भेंस या दीगर जानवर हों और उन से हासिल होने वाली आमदनी ही से उस का और अहलो इयाल का नफ़का (या’नी खर्च) पूरा होता हो तो इन चीज़ों की मालियत/ क़ीमत अगर्चे निसाब से ज़ाइद हो इस की वजह से उस शख़्स पर **क़ुरबानी व स-द-क़ए फ़ि़त्र** लाजिम नहीं होगा, अलबत्ता अगर उस ज़मीन या मकान या गाड़ी या दुकान या जानवर वग़ैरा से आमदनी न हो या आमदनी हो लेकिन गुज़र बसर व नफ़क़ए अहलो इयाल के लिये दीगर आमदनी हो तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों की मालियत निसाब की मिक्दार होने पर **क़ुरबानी व स-द-क़ए फ़ि़त्र वाजिब** होगा।

फ़रमाने मुस्ताफ़ा ﷺ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरूदे पाक को कसरत करो बेशक यह तुम्हारे लिये त्हा़रत है। (युत्बी)

वक़्त के अन्दर शराइत पाए गए तो ही कुरबानी वाजिब होगी

माल और दीगर शराइत कुरबानी के अय्याम (या'नी 10 जुल हिज्जतिल हराम की सुब्हे सादिक से ले कर 12 जुल हिज्जतिल हराम के गुरूबे आफ़ताब तक) में पाए जाएं जभी कुरबानी वाजिब होगी। इस का मस्अला बयान करते हुए सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़ती अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي "बहारे शरीअत" में फ़रमाते हैं : येह ज़रूर नहीं कि दसवीं ही को कुरबानी कर डाले, इस के लिये गुन्जाइश है कि पूरे वक़्त में जब चाहे करे लिहाज़ा अगर इब्तिदाए वक़्त में (10 जुल हिज्जा की सुब्हे) इस का अहल न था वुजूब के शराइत नहीं पाए जाते थे और आख़िर वक़्त में (या'नी 12 जुल हिज्जा को गुरूबे आफ़ताब से पहले) अहल हो गया या'नी वुजूब के शराइत पाए गए तो उस पर वाजिब हो गई और अगर इब्तिदाए वक़्त में वाजिब थी और अभी (कुरबानी) की नहीं और आख़िर वक़्त में शराइत जाते रहे तो (कुरबानी) वाजिब न रही।

(عالمگیری ج ۵ ص ۲۹۳)

“कुरबानी वाजिब है” के बारह हुरूफ़ की निस्बत से
कुरबानी के 12 म-दनी फूल

﴿ 1 ﴾ बा'ज लोग पूरे घर की तरफ़ से सिर्फ़ एक बकरा कुरबान करते हैं

फ़रमाने मुखफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ा कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। (मुरान)

हालां कि बा'ज अवकात घर के कई अपराद साहिबे निसाब होते हैं और इस बिना पर उन सारों पर कुरबानी वाजिब होती है उन सब की तरफ़ से अलग अलग कुरबानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ़ से किया गया किसी का भी वाजिब अदा न हुवा कि बकरे में एक से ज़ियादा हिस्से नहीं हो सकते किसी एक तै शुदा फ़र्द ही की तरफ़ से बकरा कुरबान हो सकता है।

﴿2﴾ गाय (भेंस) और ऊंट में सात कुरबानियां हो सकती हैं।

(عالمگیری ج ۵ ص ۳۰۴)

﴿3﴾ ना बालिग़ की तरफ़ से अगर्चे वाजिब नहीं मगर कर देना बेहतर है (और इजाज़त भी ज़रूरी नहीं)। बालिग़ औलाद या जौजा की तरफ़ से कुरबानी करना चाहे तो उन से इजाज़त त़लब करे अगर उन से इजाज़त लिये बिग़ैर कर दी तो उन की तरफ़ से वाजिब अदा नहीं होगा। (عالمگیری ج ۵ ص ۲۹۳, बहारे शरीअत, जि. 3, स. 428) इजाज़त दो तरह से होती है : (1) सरा-ह़तन म-सलन इन में से कोई वाजेह़ तौर पर कह दे कि मेरी तरफ़ से कुरबानी कर दो (2) दला-लतन (UNDER STOOD) म-सलन येह अपनी जौजा या औलाद की तरफ़ से कुरबानी करता है और उन्हें इस का इल्म है और वोह राजी हैं।

(फ़तावा अहले सुन्नत ग़ैर मत्बूआ)

﴿4﴾ कुरबानी के वक़्त में कुरबानी करना ही लाज़िम है कोई दूसरी चीज़ इस के काइम मक़ाम नहीं हो सकती म-सलन बजाए कुरबानी

फ़रमाने मुस्वफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा **अब्लाह** (طبرانی) उस पर सो रहमतेँ नाज़िल फ़रमाता है। (२१३)

के बकरा या उस की कीमत स-दका (ख़ैरात) कर दी जाए येह नाकाफी है। (२१३) **عالمگیری ج ۵ ص ۳۳۵**, बहारे शरीअत, जि. 3, स. 335)

❖ **5** **कुरबानी के जानवर की उम्र :** “ऊंट” पांच साल का, गाय दो साल की, **बकरा** (इस में बकरी, दुम्बा, दुम्बी, और भेड़ (नर व मादा) दोनों शामिल हैं) एक साल का। इस से कम उम्र हो तो कुरबानी जाइज़ नहीं, ज़ियादा हो तो जाइज़ बल्कि अफ़ज़ल है। हां दुम्बा या भेड़ का छ महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मा'लूम होता हो तो उस की कुरबानी जाइज़ है। (दुम्बा १९ ज ९९) याद रखिये ! मुत्लकन छ माह के दुम्बे की कुरबानी जाइज़ नहीं, इस का इतना फ़रबा (या'नी तगड़ा) और क़द आवर होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे। अगर 6 माह बल्कि साल में एक दिन भी कम उम्र का दुम्बे या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो उस की कुरबानी नहीं होगी।

❖ **6** **कुरबानी का जानवर बे ऐब होना ज़रूरी है** अगर थोड़ा सा ऐब हो (म-सलन कान में चीरा या सूराख़ हो) तो कुरबानी मक्रूह होगी और ज़ियादा ऐब हो तो कुरबानी नहीं होगी। (बहारे शरीअत, जि. 3, स. 340)

ऐबदार जानवरों की तफ़्सील जिन की कुरबानी नहीं होती

❖ **7** **ऐसा पागल जानवर जो चरता न हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मग़ज़ न रहा,** (इस की अ़लामत येह है कि वोह दुबले पन की वजह से खड़ा न हो सके) अन्धा या ऐसा काना जिस का काना पन ज़ाहिर हो,

फ़रमाने मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्ज़ूस तरीन शख्स है। (ज़िज़ीरिया)

ऐसा बीमार जिस की बीमारी जाहिर हो, (या'नी जो बीमारी की वजह से चारा न खाए) ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाउं से कुरबान गाह तक न जा सके, जिस के पैदाइशी कान न हों या एक कान न हो, वहशी (या'नी जंगली) जानवर जैसे नीलगाय, जंगली बकरा या खुन्सा जानवर (या'नी जिस में नर व मादा दोनों की अलामतें हों) या जल्लाला जो सिर्फ़ ग़लीज़ खाता हो। या जिस का एक पाउं काट लिया गया हो, कान, दुम या चक्की एक तिहाई (1/3) से ज़ियादा कटे हुए हों नाक कटी हुई हो, दांत न हों (या'नी झड़ गए हों), थन कटे हुए हों, या खुश्क हों इन सब की **कुरबानी ना जाइज़** है। बकरी में एक थन का खुश्क होना और गाय, भेंस में दो का खुश्क होना, “ना जाइज़” होने के लिये काफी है।

(दुर्मुत्तार ज ९, स ३४०, ३४१) (बहारे शरीअत, जि. 3, स. 340, 341)

﴿8﴾ जिस के पैदाइशी सींग न हों उस की कुरबानी जाइज़ है। और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुरबानी न होगी और सिर्फ़ ऊपर से टूटे हैं जड़ सलामत है तो हो जाएगी।

(एकाल्गीर ज ५, स २९७)

﴿9﴾ कुरबानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिस की वजह से ऐब पैदा हो गया येह ऐब मुज़िर नहीं या'नी कुरबानी हो जाएगी और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वोह छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़ब्ह कर दिया गया जब भी कुरबानी हो जाएगी।

(दुर्मुत्तारो रदुलमुत्तार ज ९, स ३४२, ३४९) (बहारे शरीअत, जि. 3, स. 342, 349)

फ़रमाते मुस्तफ़ा ﷺ : उस शख्स को नाक खाक आलूद हो जिस के पास मरा जिन्न हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पड़े । (८)

﴿10﴾ बेहतर येह है कि अपनी कुरबानी अपने हाथ से करे जब कि अच्छी तरह ज़ब्ह करना जानता हो और अगर अच्छी तरह न जानता हो तो दूसरे को ज़ब्ह करने का हुक्म दे मगर इस सूरत में बेहतर येह है कि वक्ते कुरबानी वहां हाज़िर हो ।

(عالمگیری ج ۵ ص ۳۰۰)

﴿11﴾ कुरबानी की और उस के पेट में से जिन्दा बच्चा निकला तो उसे भी ज़ब्ह कर दे और उसे (या'नी बच्चे का गोश्त) खाया जा सकता है और मरा हुवा बच्चा हो तो उसे फेंक दे कि मुर्दार है (बहारे शरीअत, जि. 3, स. 348) (कुरबानी हो गई और उस मरे हुए बच्चे की मां का गोश्त खा सकते हैं)

﴿12﴾ दूसरे से ज़ब्ह करवाया और खुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिल कर ज़ब्ह किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है । एक ने भी जान बूझ कर छोड़ दी या येह खयाल कर के छोड़ दी कि दूसरे ने कह ली मुझे कहने की क्या ज़रूरत, दोनों सूरतों में जानवर हलाल न हुवा ।

(دُرْمُخْتَار ج ۹ ص ۵۰۱)

ज़ब्ह में कितनी रंगें कटनी चाहिए ?

सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : जो रंगें ज़ब्ह में काटी जाती हैं वोह चार हैं । हुल्कूम येह वोह है जिस में सांस आती जाती है, मुरी इस से खाना पानी उतरता है इन दोनों

फ़रमाने मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर रोज़े जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा
(क़ुरआन) उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे ।

के अग़ल बग़ल और दो रंगें हैं जिन में खून की रवानी है इन को व-दजैन कहते हैं । ज़ब्ह की चार रंगों में से तीन का कट जाना काफ़ी है या'नी इस सूरत में भी जानवर हलाल हो जाएगा कि अक्सर के लिये वोही हुक्म है जो कुल के लिये है और अगर चारों में से हर एक का अक्सर हिस्सा कट जाएगा जब भी हलाल हो जाएगा और अगर आधी आधी हर रंग कट गई और आधी बाकी है तो हलाल नहीं ।

(बहारे शरीअत, जिल्द : 3, स. 312, 313)

क़ुरबानी का तरीक़ा

(चाहे क़ुरबानी हो या वैसे ही ज़ब्ह करना हो) सुन्नत यह चली आ रही है कि ज़ब्ह करने वाला और जानवर दोनों क़िब्ला रू हों, हमारे अलाके (या'नी पाक व हिन्द) में क़िब्ला मग़रिब (WEST) में है, इस लिये सरे ज़बीहा (या'नी जानवर का सर) जुनूब (SOUTH) की तरफ़ होना चाहिये ताकि जानवर बाएं (या'नी उलटे) पहलू लैटा हो, और उस की पीठ मशरिक् (EAST) की तरफ़ हो ताकि उस का मुंह क़िब्ले की तरफ़ हो जाए, और ज़ब्ह करने वाला अपना दायां (या'नी सीधा) पाउं जानवर की गरदन के दाएं (या'नी सीधे) हिस्से (या'नी गरदन के करीब पहलू) पर रखे और ज़ब्ह करे और खुद अपना या जानवर का मुंह क़िब्ले की तरफ़ करना तर्क किया तो मक्रूह है ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 216, 217)

फ़रमावे मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरूद शरीफ़ पढ़ो **اللّٰهُ** तुम पर
रहमत भेजेगा। (अबुनूरु)

कुरबानी का जानवर ज़ब्ह करने से पहले येह दुआ पढ़ी जाए

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ^{٤٩} إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^{٥٠}

और जानवर की गरदन के

क़रीब पहलू पर अपना सीधा पाउं रख कर⁴ **اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ**

पढ़ कर तेज़ छुरी से जल्द ज़ब्ह कर दीजिये। कुरबानी अपनी तरफ़ से हो तो

ज़ब्ह के बा'द येह दुआ पढ़िये: **اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ**:

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَحَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ⁵

अगर दूसरे की तरफ़ से कुरबानी करें तो **مِنِّي** के बजाए **مِنْ** कह कर उस

का नाम लीजिये। (ब वक़्ते ज़ब्ह पेट पर घुटना या पाउं न रखिये कि इस

तरह बा'ज अवक़ात खून के इलावा ग़िज़ा भी निकलने लगती है)

म-दनी इल्लिजा : कुरबानी में देख कर दुआ पढ़ते वक़्त रिसाले पर

नापाक खून न लगने पाए इस का ख़याल फ़रमाइये।

1 : तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : मैं ने अपना मुंह उस की तरफ़ किया जिस ने आस्मान

व ज़मीन बनाए एक उसी का हो कर और मैं मुशिरकों में नहीं। (१७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००)

2 : तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुरबानियां और मेरा जीना और

मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है जो रब सारे जहान का (१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००)

3 : उस का कोई शरीक नहीं मुझे येही हुकम है और मैं मुसल्मानों में हूँ। 4 : ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) तेरे

ही लिये और तेरी दी हुई तौफ़ीक़ से, अल्लाह के नाम से शुरूअ अल्लाह सब से बड़ा

है। 5 : ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) तू मुझ से (इस कुरबानी को) क़बूल फ़रमा जैसे तूने अपने

ख़लील इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام और अपने हबीब मुहम्मद صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से क़बूल फ़रमाई। (बहारे शरीअत, जि. 3, स. 352)

फ़रमाने मुखफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग़िफ़रत है। (भा.मू.)

बकरी जन्नती जानवर है

बकरी की इज़्जत करो और इस से मिट्टी झाड़ो क्यूं कि वोह जन्नती जानवर है। (अफ़रदोस بماثور الأخطاب ج ۱ ص ۶۹ حديث ۲۰۱)

जानवरों पर रहम की अपील

गाय वगैरा को गिराने से पहले ही क़िब्ले का तअय्युन कर लिया जाए, लिटाने के बा'द बिल खुसूस पथरीली ज़मीन पर घसीट कर क़िब्ला रुख़ करना बे ज़बान जानवर के लिये सख़्त अजि़य्यत का बाइस है। ज़ब्ह करने में इतना न काटें कि छुरी गरदन के मोहरे (हड्डी) तक पहुंच जाए कि येह बे वजह की तक्लीफ़ है फिर जब तक जानवर मुकम्मल तौर पर ठन्डा न हो जाए न उस के पाउं काटें न खाल उतारें, ज़ब्ह कर लेने के बा'द जब तक रूह न निकल जाए छुरी कटे हुए गले पर मस (TOUCH) करें न ही हाथ। बा'ज क़स्साब जल्द "ठन्डी" करने के लिये ज़ब्ह के बा'द तड़पती गाय की गरदन की ज़िन्दा खाल उधेड़ कर छुरी घोंप कर दिल की रगें काटते हैं, इसी तरह बकरे को ज़ब्ह करने के फ़ौरन बा'द बेचारे की गरदन चटखा देते हैं, बे ज़बानों पर इस तरह के मज़ालिम न किये जाएं। जिस से बन पड़े उस के लिये ज़रूरी है कि जानवर को बिला वजह ईज़ा पहुंचाने वाले को रोके। अगर बा वुजूदे कुदरत नहीं रोकेगा तो खुद भी गुनहगार और जहन्नम का हक़दार होगा। दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ 1197 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब, "बहारे

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर एक दुरूद शरीफ़ पढ़ता है **अल्लाह** (عز وجل) उस के लिये एक क़ीरात अन्न लिखता और क़ीरात उहुद पहाड़ जितना है।

शरीअत” जिल्द 3 सफ़हा 660 पर है : “जानवर पर जुल्म करना जिम्मी काफ़िर पर (अब दुन्या में सब काफ़िर हर्बी हैं) जुल्म करने से ज़ियादा बुरा है और जिम्मी पर जुल्म करना मुस्लिम पर जुल्म करने से भी बुरा है क्यूं कि जानवर का कोई मुईन व मददगार **अल्लाह** (عز وجل) के सिवा नहीं इस ग़रीब को इस जुल्म से कौन बचाए !”

(**दुर्मुख्तार** وَرَدُّ الْمُخْتَارِ ج ٩ ص ٦٦٢)

मरने के बा'द मज़्लूम जानवर मुसल्लत हो सकता है

ज़ब्ह करने के बा'द रूह निकलने से क़ब्ल छुरियां चला कर बे ज़बान जानवरों को बिला वजह तक्लीफ़ देने वालों को डर जाना चाहिये कहीं मरने के बा'द अज़ाब के लिये येही जानवर मुसल्लत न कर दिया जाए। **दा'वते इस्लामी** के इशाअती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत्बूआ 1012 सफ़हात पर मुशतमिल किताब, “**जहन्म में ले जाने वाले आ 'माल'**” जिल्द 2 सफ़हा 323 ता 324 पर है : इन्सान ने नाहक़ किसी चौपाए को मारा या उसे भूका प्यासा रखा या उस से ताक़त से ज़ियादा काम लिया तो क़ियामत के दिन उस से उसी की मिस्ल बदला लिया जाएगा जो इस ने जानवर पर जुल्म किया या उसे भूका रखा। इस पर दर्जे ज़ैल हदीसे पाक दलालत करती है। चुनान्चे रहमते आलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने जहन्म में एक औरत को इस हाल में देखा कि वोह लटकी हुई है और एक बिल्ली उस के चेहरे और सीने को नोच रही है और उसे वैसे ही अज़ाब

फ़रमाने मुस्वफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। (طبرانی)

दे रही है जैसे उस (औरत) ने दुन्या में कैद कर के और भूका रख कर उसे तक्लीफ़ दी थी। इस रिवायत का हुक्म तमाम जानवरों के हक़ में आम है। (الزَّوْجُرُجُ ٢ ص ١٧٤)

कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी

क़ब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

تُوبُوا إِلَى اللهِ ! اسْتَغْفِرُ اللهُ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

कुरबानी के वक़्त तमाशा देखना कैसा ?

कुरबानी का जानवर अपने हाथ से ज़ब्ह करना अफ़ज़ल और ब वक़्ते ज़ब्ह ब निय्यते सवाबे आख़िरत वहां हाज़िर रहना भी अफ़ज़ल। मगर इस्लामी बहन सिर्फ़ उसी सूरत में वहां खड़ी हो सकती है जब कि बे पर्दगी की कोई सूरत न हो म-सलन अपने घर की चार दीवारी हो, जाबेह (या'नी ज़ब्ह करने वाला) महरम हो और हाज़िरीन में भी कोई ना महरम न हो। हां ग़ैर महरम ना बालिग़ लड़का मौजूद हो तो हरज नहीं। महूज़ हज़्जे नफ़्स (या'नी मज़ा लेने) की खातिर ज़ब्ह होने वाले जानवर के गिर्द घेरा डालना, उस के चिल्लाने और तड़पने फड़कने से लुत्फ़ अन्दोज़ होना, हंसना, क़हक़हे बुलन्द करना और उस का तमाशा बनाना सरासर ग़फ़लत की अ़लामत है। ज़ब्ह करते वक़्त या अपनी कुरबानी हो रही हो उस

फ़रमावे मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझे पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा **अल्लाह** (ﷺ) उस पर दस रहमतें भेजता है।

के पास हाज़िर रहते वक़्त **अदाए सुन्नत** की निय्यत होनी चाहिये और साथ ही येह भी निय्यत करे कि मैं जिस तरह आज राहे खुदा में जानवर कुरबान कर रहा हूं, ब वक़्ते ज़रूरत **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** अपनी जान भी कुरबान कर दूंगा। नीज़ येह भी निय्यत हो कि जानवर ज़ब्ह कर के अपने नफ़से **अम्मारा** को भी ज़ब्ह कर रहा हूं और आयन्दा **गुनाहों** से बचूंगा। ज़ब्ह होने वाले जानवर पर रहूम खाए और गौर करे कि अगर इस की जगह **मुझे ज़ब्ह** किया जा रहा होता और लोग तमाशा बनाते और बच्चे तालियां बजाते होते तो मेरी क्या कैफ़ियत होती !

ज़बीहा को आराम पहुंचाइये

हज़रते सय्यिदुना शहाद बिन औस **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रिवायत है कि सय्यिदुल मुर-सलीन, ख़ा-तमुन्नबिथ्यीन, जनाबे रहूमतुल्लिल आ-लमीन **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : **अल्लाह** तआला ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है, लिहाज़ा जब तुम किसी को क़त्ल करो तो अहूसन (या'नी बहुत अच्छे) तरीक़े से क़त्ल करो और जब तुम ज़ब्ह करो तो अहूसन (या'नी ख़ूब उम्दा) तरीक़े से ज़ब्ह करो और तुम अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लिया करो और ज़बीहा को आराम दिया करो। (صحيح مسلم ص ١٠٨٠ حديث ١٩٥٥) ब वक़्ते ज़ब्ह रिज़ाए इलाही की निय्यत से जानवर पर रहूम खाना **कारे सवाब** है जैसा कि एक सहाबी **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** ने बारगाहे रिसालत में अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! मुझे बकरी ज़ब्ह करने पर रहूम आता है। फ़रमाया : “अगर उस पर रहूम करोगे **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** भी तुम पर

फ़रमाने मुख़्तार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद पाक न पढ़ा तहकीक़ वोह बद बख़्त हो गया । (अब्रार)

बुजुर्गों के ग़-ल-बए हाल पर मन्बी होते हैं । वरना मस्अला येही है कि अपने हाथ से ज़ब्ह करना सुन्नत है ।

बकरी छुरी की तरफ़ देख रही थी

सरकारे अबद करार, शाफ़ेए रोज़े शुमार, बि इज़ने परवर दगार दो आलम के मालिको मुख़्तार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ एक आदमी के करीब से गुज़रे, वोह बकरी की गरदन पर पाउं रख कर छुरी तेज़ कर रहा था और बकरी उस की तरफ़ देख रही थी, आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उस से इर्शाद फ़रमाया : “क्या तुम पहले ऐसा नहीं कर सकते थे ? क्या तुम इसे कई मौतें मारना चाहते हो ? इसे लिटाने से पहले अपनी छुरी तेज़ क्यूं न कर ली ?”

(الْمُسْتَدْرَكُ لِاحْكَامِ ج ٥ ص ٣٢٧ حديث ٧٦٣٧، السَّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ ج ٩ ص ٧١) حديث ٩١٤١، مُلْتَقَطًا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ

ज़ब्ह के लिये टांग मत घसीटो !

अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना फ़ारूक़े आ 'ज़म रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने एक शख़्स को देखा जो बकरी को ज़ब्ह करने के लिये उसे टांग से पकड़ कर घसीट रहा है, आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने इर्शाद फ़रमाया : तेरे लिये ख़राबी हो, इसे मौत की तरफ़ अच्छे अन्दाज़ में ले कर जा ।

(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ج ٤ ص ٣٧٦ حديث ٨٦٣٦)

फ़रमाते मुखफ़ा صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** (स्)। उस पर दस रहमतेँ भेजता है।

मख़वी पर रहम करना बाइसे मग़िफ़रत हो गया

किसी ने ख़्वाब में हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي को देख कर पूछा : **مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ ؟** या'नी अल्लाह **عَزَّ وَجَلَّ** ने आप के साथ क्या मुआ-मला फ़रमाया ? जवाब दिया : **अल्लाह **عَزَّ وَجَلَّ**** ने मुझे बख़्श दिया, पूछा : मग़िफ़रत का क्या सबब बना ? फ़रमाया : एक मख़वी सियाही (INK) पीने के लिये मेरे क़लम पर बैठ गई, मैं लिखने से रुक गया यहां तक कि वोह फ़ारिग़ हो कर उड़ गई। (لطائف المينن والأخلاق للشّعراى ص ۳۰۵)

मख़वी को मारना कैसा ?

याद रहे ! मख़ियां तंग करती हों तो उन को मारना जाइज़ है ताहम जब भी हुसूले नफ़अ या दफ़ए ज़रर (या'नी फ़ाएदा हासिल करने या नुक़सान ज़ाइल करने) के लिये मख़वी या किसी भी बे ज़बान की जान लेनी पड़े तो उस को आसान से आसान तरीके पर मारा जाए ख़्वाह म ख़्वाह उस को बार बार ज़िन्दा कुचलते रहने या एक वार में मार सकते हों फिर भी ज़ख़्म खा कर पड़े हुए पर बिना ज़रूरत ज़र्बे लगाते रहने या उस के बदन के टुकड़े टुकड़े कर के उस को तड़पाने वगैरा से गुरेज़ किया जाए। अक्सर बच्चे नादानी के सबब च्यूंटियों को कुचलते रहते हैं उन को इस से रोका जाए। च्यूंटी बहुत कमजोर होती है चुटकी में उठाने या हाथ या झाड़ू से हटाने से उमूमन ज़ख़्मी हो जाती है, मौक़अ की मुना-सबत से उस पर फूंक मार कर भी काम चलाया जा सकता है।

फ़रमाने मुखफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शख़्स मुझ पर दुरुद पाक पढ़ना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया। (طبرانی)

कुरबानी में अक़ीके का हिस्सा

कुरबानी की गाय या ऊंट में अक़ीके का हिस्सा हो सकता है।

(رَدُّ الْمُحْتَارِ ج ٩ ص ٥٤٠)

इज्तिमाई कुरबानी का गोशत वज़न कर के तक्सीम करना होगा

अगर शिर्कत में गाय की कुरबानी की तो ज़रूरी है कि गोशत वज़न कर के तक्सीम किया जाए, अन्दाजे से तक्सीम करना जाइज़ नहीं, करेंगे तो गुनहगार होंगे। बख़ुशी एक दूसरे को कम ज़ियादा मुआफ़ कर देना काफ़ी नहीं। (मुलख़्ख़स अज़ बहारे शरीअत, जि. 3, स. 335) हां अगर सब एक ही घर में रहते हैं कि मिल कर ही बांटेंगे और खाएंगे या शु-रका अपना अपना हिस्सा लेना नहीं चाहते, ऐसी सूरत में वज़न करने की हाज़त नहीं।

अन्दाजे से गोशत तक्सीम करने के दो हीले

अगर शु-रका अपना अपना हिस्सा ले जाना चाहते हों तो वज़न करने की मशक्कत से बचने के लिये यह दो हीले कर सकते हैं : ﴿1﴾ ज़ब्ह के बा'द इस गाय का सारा गोशत एक ऐसे बालिग़ मुसल्मान को हिबा (या'नी तोहूफ़तन मालिक) कर दें जो उन की कुरबानी में शरीक न हो और अब वोह अन्दाजे से सब में तक्सीम कर सकता है ﴿2﴾ दूसरा हीला इस से भी आसान है जैसा कि फु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ फ़रमाते हैं : गोशत तक्सीम करते वक़्त उस में कोई दूसरी जिन्स (म-सलन कलेजी मज़ वगैरा) शामिल की जाए तो भी अन्दाजे से तक्सीम कर सकते हैं। (دُرِّمُخْتَارِ ج ٩ ص ٥٢٧)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (अन०)

से टुकड़ा टुकड़ा देना लाज़िमी नहीं । गोशत के साथ सिर्फ़ एक चीज़ देना भी काफ़ी है । म-सलन, तिल्ली, कलेजी, सिरि पाए डाले हैं तो गोशत के साथ किसी को तिल्ली दे दी, किसी को कलेजी का टुकड़ा, किसी को पाया, किसी को सिरि । अगर सारी चीज़ों में से टुकड़ा टुकड़ा देना चाहें तब भी हरज नहीं ।

कुरबानी के गोशत के तीन हिस्से

कुरबानी का गोशत खुद भी खा सकता है और दूसरे शख्स ग़नी (या'नी मालदार) या फ़कीर को दे सकता है खिला सकता है बल्कि इस में से कुछ खा लेना कुरबानी करने वाले के लिये मुस्तहब है । बेहतर येह है कि गोशत के तीन हिस्से करे एक हिस्सा फु-करा के लिये और एक हिस्सा दोस्त व अहबाब के लिये और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिये । (عالمگیری ج ० ص २००) अगर सारा गोशत खुद ही रख लिया तब भी कोई गुनाह नहीं । मेरे आका आ'ला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़रमाते हैं : तीन हिस्से करना सिर्फ़ इस्तिहबाबी अम्र है कुछ ज़रूरी नहीं, चाहे तो सब अपने सर्फ़ (या'नी इस्ति'माल) में कर ले या सब अज़ीजों क़रीबों को दे दे, या सब मसाकीन को बांट दे ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 253)

वसियत की कुरबानी के गोशत का मसअला

मन्नत या मर्हूम की वसियत पर की जाने वाली कुरबानी का सब गोशत फु-करा और मसाकीन को स-दका करना वाजिब है न खुद खाए न मालदारों को दे । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 3, स. 345)

फ़रमाने मुख़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (रुही रोवरी)

छ सुवालात व जवाबात

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अब दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक़-त-बतुल मदीना की मत्बूआ 112 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब, “चन्दे के बारे में सुवाल जवाब” सफ़हा 84 ता 88 से “छ सुवालात व जवाबात” मुला-हज़ा हों। येह हर इदारे बल्कि हर मुसल्मान के लिये मुफ़ीद ही नहीं मुफ़ीद तरीन हैं।

चन्दे की रक़म से इज्तिमाई कुरबानी के लिये गाएं ख़रीदना

सुवाल: मज़हबी या फ़लाही इदारे के चन्दे की रक़म से इज्तिमाई कुरबानी के लिये बेचने के वासिते गाएं ख़रीदी जा सकती हैं या नहीं ?

जवाब: चन्दे की रक़म कारोबार में लगाना जाइज़ नहीं। इस के लिये चन्दा देने वाले से सरा-हतन या'नी साफ़ लफ़्ज़ों में इजाज़त लेनी ज़रूरी है। (जो इस की इजाज़त दे तो सिर्फ़ उसी के चन्दे की रक़म जाइज़ कारोबार में लगाई जा सकती है यूंही बिला इजाज़ते मालिक उस के दिये हुए चन्दे की रक़म क़र्ज़ देने की भी इजाज़त नहीं)

गु-रबा को ख़ाले लेने दीजिये

सुवाल: अगर कोई शख़्स हर साल ग़रीबों को ख़ाल देता हो, उस पर इन्फ़िरादी कोशिश कर के अपने मद्रसे या दीगर दीनी

फ़रमाते मुस्तहक़। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़ा उस ने जफ़ा की। (मैराज़ान)

कामों के लिये खाल लेना और ग़रीबों को महरूम कर देना कैसा है ?

जवाब: अगर वाक़ेई कोई ऐसा ग़रीब मुस्तहक़ आदमी है जिस का गुज़ारा उसी खाल या ज़कात व फ़ित्रा पर मौकूफ़ है तो अब उस को मिलने वाले इन अतिथ्यात की अपने इदारे के लिये तरकीब कर के उस ग़रीब को महरूम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। (और अगर उन ग़रीबों का गुज़ारा खाल वगैरा पर मौकूफ़ न हो तो खाल का मालिक जिस मसरफ़ में चाहे दे सकता है म-सलन दीनी मद्रसे को दे दे) मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ फ़रमाते हैं : अगर कुछ लोग अपने यहां की खालें हाज़त मन्द यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों को देना चाहें कि इन की सूरते हाज़त रवाई येही हो, उसे कोई वाइज़ (या'नी वा'ज़ कहने वाला) या मद्रसे वाला रोक कर मद्रसे के लिये ले ले तो येह उस का जुल्म होगा।

وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ (मुलख़बस अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 501)

खालों के लिये बे जा जिद मत कीजिये

सुवाल: अगर कोई शख़्स अहले सुन्नत के किसी मद्रसे या किसी ग़रीब मुसल्मान को खाल देने का वा'दा कर चुका हो उस को ब इस्सार अपने इदारे म-सलन दा'वते इस्लामी के लिये खाल देने पर आमादा करना कैसा ?

फ़रमाते मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर रोज़े जुमुआ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा ! (क़ुरआन)

जवाब: ऐसा न करे कि यूं आपस में अ़दावत व मुना-फ़रत का सिल्सिला होगा, फ़ितनों, ग़ीबतों, चुग़िलियों, बद गुमानियों, इल्ज़ाम तराशियों और दिल आज़ारियों वग़ैरा गुनाहों के दरवाज़े खुलेंगे । मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ **फ़तावा र-ज़विय्या** जिल्द 21 सफ़हा 253 पर फ़रमाते हैं : मुसल्मानों में बिला वजहे शर-ई इख़्तिलाफ़ व फ़ितना पैदा करना नयाबते शैतान है । (या'नी ऐसे लोग इस मुआ-मले में शैतान के नाइब हैं) हदीसे पाक में है : “फ़ितना सो रहा है उस के जगाने वाले पर **اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ** की ला'नत ।”

(الجامع الصغير للسيوطي ص 370 حديث 970)

सुन्नी मदरिस की खालें मत काटिये

सुवाल: अगर कोई कहे कि मैं हर साल फुलां सुन्नी इदारे को खाल देता हूं । उस को येह समझाना कैसा कि इस साल हमारे दीनी इदारे म-सलन दा'वते इस्लामी को खाल दे दीजिये ।

जवाब: अगर वोह साहिब किसी ऐसी जगह खाल देते हैं जो कि उस का सहीह मसरफ़ है तो उस इदारे को महरूम कर के अपनी तन्ज़ीम के लिये खाल हासिल कर लेना उस इदारे वालों के लिये सदमे का बाइस होगा, यूं आपस में कशीदगी पैदा होगी लिहाज़ा हर उस काम से इज्तिनाब कीजिये जिस

फ़रमावे मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा **अब्लाह** (س)। (عز وجل) उस पर दस रहमते भेजता है।

से मुसलमानों में बाहम रन्जिशें हों **मुसलमानों को नफ़रत** व वहशत से बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हुज़ूरे अकरम, नूरे **मुजस्सम**, शाहे बनी आदम, **रसूले मुहूतशम** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इशादे मुअज़्ज़म है : **بَشْرُوا وَلَا تَفْرُوا** या 'नी ख़ुश ख़बरी सुनाओ और (लोगों को) नफ़रत न दिलाओ। (صحيح بخاری ج ۱ ص ۴۲ حديث ۱۶)

सुन्नी मद्रसे को खाल खुद दे आइये

सुवाल: अगर कहीं दा 'वते इस्लामी के लिये खाल लेने पहुंचे, उस ने एक हमें दी और एक **खाल** बचा कर रखते हुए कहा कि यह अहले सुन्नत के फुलां दारुल उलूम को देनी है। आप आधे घन्टे के बा'द मा'लूम कर लीजिये अगर वोह लेने न आएं तो यह खाल भी आप ही ले लीजिये। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ?

जवाब: यह ज़ेहन में रहे कि कुरबानी की खालें इकट्ठी करना दा 'वते इस्लामी का "मक्सद" नहीं "ज़रूरत" है। दा 'वते इस्लामी का एक मक्सद **नेकी की दा 'वत** आम करने की ग़रज़ से नफ़रतें मिटाना और मुसलमानों के दिलों में **महब्बतों** के चराग़ जलाना भी है। तमाम **सुन्नी इदारे** एक तरह से दा 'वते इस्लामी ही के इदारे हैं और दा 'वते इस्लामी तमाम **सुन्नी इदारों** की अपनी अपनी और अपनी सुन्नतों भरी तहरीक है।

फ़रमाने मुख़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शख़्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया। (طبرانی)

मुम्किना सूरात में अच्छी अच्छी निय्यतें कर के आप खुद उस सुन्नी दारुल उलूम को खाल पहुंचा दीजिये। इस तरह मुसलमानों का दिल भी खुश करने की सआदत हासिल होगी। ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्फ़ बज़्मे हिदायत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “फ़राइज़ के बा'द सब आ'माल में अल्लाह عَزَّوَجَلَّ को ज़ियादा प्यारा मुसलमान का दिल खुश करना है।” (الْمَنْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ ج ۱۱ ص ۵۹ حديث ۱۱۰۷۹)

अपनी कुरबानी की खाल बेच दी तो ?

सुवाल: किसी ने अपनी कुरबानी की खाल बेच कर रक़म हासिल कर ली अब वोह मस्जिद में दे सकता है या नहीं ?

जवाब: यहां निय्यत का ए'तिबार है। अगर अपनी कुरबानी की खाल अपनी ज़ात के लिये रक़म के इवज़ बेची तो यूं बेचना भी ना जाइज़ है और येह रक़म इस शख़्स के हक़ में माले ख़बीस है और इस का स-दक़ा करना वाजिब है लिहाज़ा किसी शर-ई फ़कीर को दे दे। और तौबा भी करे और अगर किसी कारे ख़ैर के लिये म-सलन मस्जिद में देने ही की निय्यत से बेची तो बेचना भी जाइज़ है और अब मस्जिद में देने में कोई हरज (भी) नहीं।

फ़रमाने मुस्वफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढा तहकीक वोह बद बख्त हो गया ! (अरुन)

कस्साब के लिये 20 म-दनी फूल

- 1) पहले किसी माहिर गोशत फ़रोश की निगरानी में ज़ब्ह वगैरा का काम सीख ले कि उस ना तजरिबा कार के लिये येह काम जाइज़ नहीं जिस की वजह से किसी के जानवर के गोशत और खाल वगैरा को उर्फ़ व आदत (या'नी आम मा'मूल और दस्तूर) से हट कर नुक़सान पहुंचता हो ।
- 2) माहिर गोशत फ़रोश को भी चाहिये कि जल्द बाज़ी या ला परवाही के सबब खाल में उर्फ़ व आदत से जाइद गोशत न लगा रहने दे, इसी तरह छीछड़े उतारने में भी एहतियात से काम ले कि इस में ख़्वाह म ख़्वाह बोटी और चरबी न चली जाए । नीज़ खाई जाने वाली हड्डियां वगैरा भी फेंकने के बजाए टुकड़े बना कर गोशत ही में डाल दे और माहिर गोशत फ़रोश को भी उर्फ़ व आदत से हट कर गोशत या खाल को नुक़सान पहुंचाना जाइज़ नहीं ।
- 3) ब-करह ईद में उमूमन बड़े जानवर का भेजा और ज़बान वगैरा निकाल कर सिरी का बकि़य्या हिस्सा और पाए के खुर फेंक दिये जाते हैं, इसी तरह बकरे के सिरी पाए के भी खाए जाने वाले बा'ज अज्ज़ा ख़्वाह म ख़्वाह ज़ाएअ़ कर दिये जाते हैं ऐसा न किया जाए अगर खुद खाना नहीं चाहते तो किसी ग़रीब मुसल्मान को बुला कर एहतिराम के साथ दीजिये कि इस तरह के काफ़ी अपराद इन दिनों गोशत और

फ़रमाबे मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्द और दस मरतबा शाम दुरूदे पाक पढा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (मुआज़ज़)

चरबी वगैरा की तलाश में फिर रहे होते हैं। नीज़ येह भी याद रखिये कि बड़े जानवर के सिरि पाए मुकम्मल चमड़े समेत अस्ल खाल से जुदा कर लेने की वजह से खाल की कीमत में कमी आती है।

﴿4﴾ अ़ाम दिनों में पूंछ का गोश्त दूसरे गोश्त के साथ वज़न में बेचा जाता है जब कि कुरबानी के जानवर की पूंछ उ़मूमन खाल में ही जाने देते हैं उस से इस का गोश्त ज़ाएअ़ हो जाता है, बल्कि बड़े जानवर में से बा'ज़ अवका़त खाल समेत पूंछ काट कर फेंक देते हैं, येह तरीका भी ग़लत है, इस तरह करने से खाल की कीमत में भी कमी आती है।

﴿5﴾ जिन मुल्कों में खाल काम में ले ली जाती है (म-सलन पाक व हिन्द में) वहां उ़र्फ़ से हट कर ख़्वाह म ख़्वाह ऐसी जगह “कट” लगा देना जाइज़ नहीं जिस से खाल की कीमत में कमी आ जाए। गोश्त फ़रोशों को चाहिये कि जिस तरह अपने ज़ाती जानवर की खाल संभाल संभाल कर उधेड़ते हैं, दूसरों के मुआ-मले में भी इसी तरह करें।

﴿6﴾ दुम्बे की चक्की की खाल उधेड़ने में इस बात का ख़याल रखिये कि चरबी खाल में बाकी न रहे।

﴿7﴾ छीछड़े और चरबी एक तरफ़ जम्अ़ कर के आख़िर में छीछड़ों की आड़ में चरबी भी उठा ले जाना धोका और चोरी है। पूछ कर भी

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़ा उस ने जफ़ा की। (عوارضات)

न लें कि “सुवाल” है और बिला हाजते शर-ई सुवाल जाइज़ नहीं। **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शख़्स हाजत के बिग़ैर लोगों से सुवाल करता है वोह मुंह में अंगारे डालने वाले की तरह है। (شُعْبَةُ الْإِيمَانِ ج 3 ص 271 حدیث 3017)

﴿8﴾ बसा अवक़ात कुरबानी के जानवर में से बोटी का बेहतरीन गोल लोथड़ा चुपके से टोकरी में सरका लिया जाता है येह साफ़ साफ़ चोरी है। बिला इजाजते शर-ई मांग कर लेना भी दुरुस्त नहीं। **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है : “जो माल में इजाफ़े के लिये लोगों से सुवाल करता है वोह अंगारे मांगता है, अब उस की मरज़ी है कि अंगारे कम जम्अ करे या ज़ियादा।” (مسلم ص 1018 حدیث 1041) हां अगर लोगों में गोशत बांटा जा रहा है और गोशत फ़रोश ने भी लेने के लिये हाथ बढ़ा दिया तो हरज नहीं।

﴿9﴾ गोशत का हर वोह हिस्सा जो आम दिनों में इस्ति'माल में लिया जाता है, कुरबानी के दिनों में भी काम में लिया जाए। फेफड़े और चरबी वग़ैरा के टुकड़े कर के गोशत के साथ तक्सीम कर देना मुनासिब है, इस तरह की चीज़ों को फेंका न जाए अगर खुद खाना या गोशत के साथ तक्सीम करना नहीं चाहते तो यूं भी हो सकता है कि जो ज़रूरत मन्द लेना चाहे उसे बुला कर दे दिया जाए या किसी के हवाले कर दिया जाए कि किसी ज़रूरत मन्द को दे दे बल्कि एह्तियात् इसी में है कि खुद ही किसी मुसल्मान के हवाले कर

फ़रमाने मुश्फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा। (तुआल)

दीजिये। येह मस्अला याद रहे कि ग़ैर मुस्लिम भंगियों वग़ैरा को खाल तो क्या एक बोटी भी कुरबानी के गोशत में से देना जाइज़ नहीं।

❦ **10** ❦ अगर जानवर के गले में रस्सी, नथ, चमड़े का पट्टा, घुंगुरू, हार वग़ैरा है तो इन सब को छुरी से जूं तूं काट कर नहीं बल्कि काड़दे के मुताबिक़ खोल कर निकाल लेना चाहिये ताकि नापाक न हों। बिग़ैर निकाले ज़ब्ह करने की सूरत में येह चीज़ें ख़ून आलूद हो जाती हैं और मस्अला येह है कि बिला हाज़त किसी पाक चीज़ को क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) नापाक करना **हराम** है। बिलफ़र्ज नापाक हो भी जाएं तब भी उन को फेंक न दिया जाए, पाक कर के खुद इस्ति'माल में लाएं या किसी मुसल्मान को दे दें। याद रखिये ! तज़्यीए माल (या'नी माल ज़ाएअ करना) हराम है।

❦ **11** ❦ छुरी फेरने से क़ब्ल जानवर के गले की खाल नर्म करने के लिये अगर पाक पानी के बरतन में नापाक ख़ून वाला हाथ डाल कर चुल्लू भरा तो चुल्लू का और उस बरतन का तमाम पानी नापाक हो गया। अब येह पानी गले पर मत डालिये। इस का आसान सा हल येह है कि जिन का जानवर है उसी से कहिये वोह पाक साफ़ पानी का गिलास भर कर अपने हाथ से जानवर के गले पर डालिये मगर येह एह्तियात् की जाए कि गिलास से पानी डालने या छिड़कने के दौरान बीच में न कोई अपना ख़ून आलूद हाथ डालिये न ही पानी वाले गले पर ख़ून वाला हाथ मले येह बात सिर्फ़ कुरबानी के लिये खास नहीं, जब भी ज़ब्ह करें इस का ख़याल रखिये।

﴿۞﴾ **फ़रमाने मुस्ताफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो बशक यह तुम्हारे लिये त्हारत है । (بريطانی)

﴿12﴾ ज़ब्द के बा'द खून आलूद छुरी और उसी खून से लिथड़े हुए हाथ धोने के लिये पानी की बाल्टी में डाल देने से छुरी और हाथ पाक नहीं होते उल्टा बाल्टी का सारा पानी भी नापाक हो जाता है । अक्सर इसी तरह के नापाक पानी से खाल उधेड़ने में भी मदद ली जाती है और येही पानी गोशत के अन्दरूनी हिस्से में जम्अ शुदा खून धोने के लिये भी बहाया जाता है गोशत के अन्दर का खून पाक होता है मगर नापाक पानी बहाने के सबब येह नुक़सान होता है कि येह नापाक पानी जहां जहां से गुज़रता है गोशत के पाक हिस्से को भी नापाक करता चला जाता है । ऐसा मत कीजिये ।

﴿13﴾ अजीर गोशत फ़रोश के लिये येह ज़रूरी है कि ब-क़रह ईद के उर्फ़ व अ़दत (या'नी दस्तूर) के मुताबिक़ कुरबानी के गोशत की बोटियां बना कर दे । बा'ज़ क़स्साब जल्द बाज़ी के सबब गोशत के बड़े बड़े टुकड़े बनाते, नलियां भी सहीह से तोड़ कर नहीं देते और सिरी पाए भी साबित छोड़ कर चल देते हैं, ऐसा न किया करें । इस तरह कुरबानी करवाने वाले सख़्त आज़माइश में आ जाते हैं और बसा अवका़त सिरी पाए वग़ैरा फेंकने पड़ जाते हैं । बा'ज़ लोग सब्र करने के बजाए क़स्साब को बुरे बुरे अल्का़ब और गालियों से नवाज़ते और ख़ूब गुनाहों भरी बातें करते हैं । हां, इजारा करते वक़्त क़स्साब ने कह दिया हो कि सिरी पाए बना कर नहीं दूंगा तो अब साबित छोड़ने में कोई हरज नहीं ।

﴿۞﴾ **फ़रमाने मुखफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। (طبرانی)

﴿14﴾ बा'ज क़स्साब हिर्स के सबब बहुत ज़ियादा जानवर “बुक” कर लेते हैं और एक जगह छुरी फेर कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर उधर गला काट कर पहली जगह वापस आ कर खाल उधेड़ने लगते हैं और अब दूसरी जगह वाले “इन्तिज़ार” की आग में सुलगते हैं। इस तरह लोग बहुत तकलीफ़ में आते, बातें बनाते, क़स्साब को बुरा भला कहते हैं और फिर कई गुनाहों के दरवाज़े खुलते हैं। क़स्साबों को चाहिये कि काम उतना ही लें जितना सलीक़े के साथ कर सकें और किसी को शिकायत का मौक़अ न मिले।

﴿15﴾ क़स्साब को चाहिये कि गोशत बनाते वक़्त ह़राम अज्ज़ा जुदा कर के फेंक दे। जिसे गोशत खाना हो उस पर ज़बीहा की ह़राम चीज़ों की शनाख़्त फ़र्ज़ और मक्क़रूहे तहरीमी अज्ज़ा की पहचान वाजिब है ताकि गुनाहों भरी चीज़ें न खा डाले। (गोशत के न खाए जाने वाले अज्ज़ा का बयान आगे आ रहा है)

﴿16﴾ गोशत फ़रोश को चाहिये कि कुरबानी के दिनों में पैसे कमाने की हिर्स के सबब शरीअत की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुए 100 जानवर ग़लत सलत काट कर अपनी आख़िरत दाव पर लगाने के बजाए शरीअत के मुताबिक़ बेशक सिर्फ़ एक ही जानवर काटे, اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ दोनों जहानों में इस की ख़ूब ब-र-कतें पाएगा कि पैसों के लालच में जल्द बाज़ी की वजह से इस काम में बसा अवक़ात बहुत सारे गुनाह करने पड़ जाते हैं।

फ़रमाने मुस्त्फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा **अब्लाह** (طرائف) उस पर सो रहमते नाज़िल फ़रमाता है।

﴿17﴾ बा'ज गोशत फ़रोश बेचने के बड़े (और छोटे) जानवर की खाल उतार लेने के बा'द गोशत के अन्दर मौजूद दिल में कट लगा कर उस में या खून की बड़ी नस में पाइप के ज़रीए पानी चढ़ाते हैं इस तरह करने से गोशत का वज़न बढ़ जाता है। इस तरह का गोशत धोके से बेचना भी ह़राम और जहन्म में ले जाने वाला काम है। बा'ज मुर्गी का गोशत बेचने वाले ज़ब्द के बा'द मुर्गी के पर उतार कर पेट की सफ़ाई कर के सिर्फ़ दिल उस में लगा रहने देते और उस मुर्गी को तक्रीबन 15 मिनट के लिये पानी में डाल देते हैं, इस तरह इस के गोशत का वज़न तक्रीबन 150 ग्राम बढ़ जाता है। ज़ब्द शुदा कमज़ोर बकरे के ठन्डा होने के बा'द उस की बोंग के ज़रीए गोशत में मुंह से हवा भर कर गोशत को फुला देते हैं, गाहक गोशत ले कर घर पहुंचता है तो हवा निकल चुकी होती है और गोशत की तह वाली हड्डियां रह जाती हैं। ये भी सरासर धोका है, बिल खुसूस कुरबानी के दिनों में वज़न से बेचे जाने वाले ज़िन्दा बकरों वगैरा को बेसन (या'नी चने का आटा) खिला कर ऊपर खूब पानी वगैरा पिला कर उन का वज़न बढ़ा दिया जाता है, ऐसे जानवर भी यूं धोके से बेचना गुनाह है। याद रखिये ! ह़राम कमाई में कोई भलाई नहीं। **फ़रमाने मुस्त्फ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने ह़राम का एक लुक़्मा खाया उस की चालीस दिन की नमाज़ें क़बूल नहीं की जाएंगी और उस की दुआ चालीस दिन तक ना मक़बूल होगी। (الفردوس بمأثور الخطاب ج 3 ص 591 حديث 5803) मज़ीद एक रिवायत में है : “इन्सान के पेट में जब ह़राम का लुक़्मा पड़ता है, ज़मीन व आस्मान का हर फ़िरिश्ता उस पर उस वक़्त तक ला'नत करता है जब तक कि वोह ह़राम लुक़्मा उस के पेट

﴿۞﴾ **फ़रमाते मुखफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़े तो वोह लोगों में से कज़ूस तरीन शख्स है। (त्रिबिया)

में रहे और अगर इसी हालत में मर गया तो उस का ठिकाना जहन्नम होगा।”
(مُكَاشَفَةُ الْقُلُوبِ ص ۱۰)

﴿18﴾ दुरुस्त काम करने में यकीनन वक़्त ज़ियादा सर्फ़ होगा, इस पर हो सकता है हमपेशा अफ़राद मज़ाक़ भी उड़ाएं मगर इस पर सब्र कीजिये, ख़बरदार ! कहीं शैतान लड़ाई भिड़ाई में उलझा कर गुनाहों में न फंसा दे !

﴿19﴾ गोश्त का जो हिस्सा गोबर या ज़ब्ह के वक़्त निकले हुए ख़ून वाला हो जाए, उस को जुदा रखिये और गोश्त के मालिक को बता दीजिये ताकि वोह उसे अलग से पाक कर सके। पकाने में अगर एक भी नापाक बोटी डाल दी तो वोह पूरी देग का कोरमा या बिरयानी नापाक कर देगी और उस का खाना हराम हो जाएगा। (याद रहे ! ज़ब्ह के बा'द गरदन के कटे हुए हिस्से पर बचा हुवा ख़ून और गोश्त के अन्दर म-सलन पेट में या छोटी छोटी रगों में जो ख़ून रह जाता है वोह नीज़ दिल, कलेजी वगैरा का ख़ून पाक होता है। हां दमे मस्फूह या'नी ज़ब्ह के वक़्त जो ख़ून बह कर निकल चुका वोह अगर कटे हुए गले वगैरा को लग गया तो नापाक कर देगा।)

﴿20﴾ जानवर काटने और कटवाने वाले को चाहिये कि आपस में उजरत तै कर लें क्यूं कि मस्अला येह है कि जहां दला-लतन (UNDER STOOD) या'नी अलामत से मा'लूम हो, या सरा-हतन (या'नी

फ़रमाने मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा जिन्न हो और वोह मुझ पर दुरुदे पाक न पढ़े । (म)

खुल्लम खुल्ला, जाहिरन) उजरत साबित हो वहां तै करना वाजिब है । ऐसे मौक़अ पर तै करने के बजाए इस तरह कह देना : काम पर आ जाओ देख लेंगे, जो मुनासिब होगा दे देंगे, खुश कर देंगे, खर्ची मिलेगी वगैरा अल्फ़ाज़ क़त्अन नाकाफ़ी हैं । बिगैर तै किये उजरत लेना देना गुनाह है, तै शुदा से जाइद तलब करना भी मम्नूअ है । हां जहां ऐसा मुआ-मला हो कि काम करवाने वाले ने कहा : कुछ नहीं दूंगा, उस ने कह दिया : कुछ नहीं लूंगा । और फिर काम करवाने वाले ने अपनी मरजी से दे दिया तो इस लेन देन में कोई हरज नहीं ।

गोशत के 22 अज्जा जो नहीं खाए जाते

फ़ैज़ाने सुन्नत जिल्द अब्वल ऊपर से सफ़हा 405 ता 408 पर है : मेरे आका आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़रमाते हैं : हलाल जानवर के सब अज्जा हलाल हैं मगर बा'ज़ कि हराम या मम्नूअ या मक्रूह हैं ﴿1﴾ रगों का खून ﴿2﴾ पित्ता ﴿3﴾ फुकना (या'नी मसाना) ﴿4,5﴾ अलामाते मादा व नर ﴿6﴾ बैजे (या'नी कपूरे) ﴿7﴾ गुदूद ﴿8﴾ हराम मग़ज़ ﴿9﴾ गरदन के दो पट्टे कि शानों तक खिंचे होते हैं ﴿10﴾ जिगर (या'नी कलेजी) का खून ﴿11﴾ तिल्ली का खून ﴿12﴾ गोशत का खून कि बा'दे ज़ब्ह गोशत में से निकलता है ﴿13﴾ दिल का खून ﴿14﴾ पित या'नी वोह ज़र्द पानी कि

फ़रमाने मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर रोज़े जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। (अहमद)

पित्ते में होता है ﴿15﴾ नाक की रतूबत कि भेड़ में अक्सर होती है ﴿16﴾ पाख़ाने का मक़ाम ﴿17﴾ ओझड़ी ﴿18﴾ आंतें ﴿19﴾ नुत्फ़ा¹ ﴿20﴾ वोह नुत्फ़ा कि ख़ून हो गया ﴿21﴾ वोह (नुत्फ़ा) कि गोशत का लोथड़ा हो गया ﴿22﴾ वोह कि (नुत्फ़ा) पूरा जानवर बन गया और मुर्दा निकला या बे ज़ब्ह मर गया।

(फ़तावा र-ज़विय्या जि. 20 स. 240, 241)

समझदार क़स्साब बा'ज मन्नुअ चीज़ें निकाल दिया करते हैं मगर बा'ज में इन को भी मा'लूमात नहीं होती या बे एह्तियाती बरतते हैं। लिहाज़ा आज कल उमूमन ला इल्मी की वजह से जो चीज़ें सालन में पकाई और खाई जाती हैं उन में से चन्द की निशान देही करने की कोशिश करता हूँ।

ख़ून

ज़ब्ह के वक़्त जो ख़ून निकलता है उस को “दमे मस्फूह” कहते हैं। येह नापाक होता है इस का खाना ह़राम है। बा'दे ज़ब्ह जो ख़ून गोशत में रह जाता है म-सलन गरदन के कटे हुए हिस्से पर, दिल के अन्दर, कलेजी और तिल्ली में और गोशत के अन्दर की छोटी छोटी रगों में येह अगर्चे नापाक नहीं मगर इस ख़ून का भी खाना मन्नुअ है। लिहाज़ा पकाने से पहले सफ़ाई कर लीजिये। गोशत में कई जगह छोटी छोटी रगों में ख़ून होता है उन की निगह दाशत काफ़ी मुशिकल है, पकने के बा'द वोह रगें

¹ मनी

फरमाने मुखफा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो **अब्लाह** غُرُّ وَجَلُّ تُمُّمُ پَرُّ رَهْمَتُ بَهَجِیْغَا । (ابن عدی)

काली डोरी की तरह हो जाती है। खास कर भेजे, सिरी पाए और मुर्गी की रान और पर के गोश्त वगैरा में बारीक काली डोरियां देखी जाती हैं खाते वक्त इन को निकाल दिया करें। **मुर्गी का दिल भी साबित न पकाइये, लम्बाई में चार चीरे कर के इस का खून पहले अच्छी तरह साफ़ कर लीजिये।**

हराम मग़ज़

येह सफ़ेद डोरे की तरह होता है जो कि भेजे से शुरूअ हो कर गरदन के अन्दर से गुज़रता हुवा पूरी रीढ़ की हड्डी में आखिर तक जाता है। माहिर क़स्साब गरदन और रीढ़ की हड्डी के बीच से दो परकाले या'नी दो टुकड़े कर के **हराम मग़ज़** निकाल कर फेंक देते हैं। मगर बारहा बे एहतियाती की वजह से थोड़ा बहुत रह जाता है और सालन या बिरयानी वगैरा में पक भी जाता है। चुनान्चे गरदन, चांप और कमर का गोश्त धोते वक्त **हराम मग़ज़** तलाश कर के निकाल दिया करें। येह मुर्गी और दीगर परिन्दों की गरदन और रीढ़ की हड्डी में भी होता है, पकाने से क़ब्ल इस को निकालना बहुत मुश्किल है लिहाज़ा खाते वक्त निकाल देना चाहिये।

पट्टे

गरदन की मजबूती के लिये इस की दोनों तरफ़ पीले रंग के दो लम्बे लम्बे **पट्टे** कन्धों तक खिचे हुए होते हैं। इन **पट्टों** का खाना मम्मूअ है। गाय और बकरी के तो आसानी से नज़र आ जाते हैं मगर मुर्गी और परिन्दों की गरदन के पट्टे ब आसानी नज़र नहीं आते, खाते वक्त ढूंड कर या किसी जानने वाले से पूछ कर निकाल दीजिये।

गुदूद

गरदन पर, हल्क़ में और बा'ज जगह चरबी वगैरा में छोटी बड़ी कहीं सुर्ख़ और कहीं मटियाले रंग की गोल गोल गांठें होती हैं इन

फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग़िफ़रत है। (बाय़ुम्)

को अ-रबी में गुद्दा और उर्दू में **गुदूद** कहते हैं। ये भी मत खाइये, पकाने से पहले ढूँड कर निकाल दीजिये। अगर पके हुए गोश्त में भी नज़र आ जाए तो निकाल दीजिये।

कपुरा

कपुरे को खुस्या, फ़ोता या बैदा भी कहते हैं इन का खाना **मक्खूहे तहरीमी** है। ये बैल, बकरे वगैरा (नर या'नी मुजक्कर) में नुमायां होते हैं। मुर्गे (नर) का पेट खोल कर आंते हटाएंगे तो पीठ की अन्दरूनी सतह पर अन्डे की तरह सफ़ेद दो छोटे छोटे बीज नुमा नज़र आएंगे येही **कपुरे** हैं। इन को निकाल दीजिये। **अफ़सोस !** मुसलमानों की बा'ज़ होटलों में दिल, कलेजी के इलावा बैल, बकरे के कपुरे भी तवे पर भून कर पेश किये जाते हैं ग़ालिबन होटल की ज़बान में इस डिश को "कटा कट" कहा जाता है। (शायद इस को "कटा कट" इस लिये कहते हैं कि गाहक के सामने ही दिल या कपुरे वगैरा डाल कर तेज़ आवाज़ से तवे पर काटते और भूनते हैं इस से "कटा कट" की आवाज़ गूँजती है)

ओझड़ी

ओझड़ी के अन्दर ग़लाज़त भरी होती है इस का खाना **मक्खूहे तहरीमी** है मगर मुसलमानों की एक ता'दाद है जो आज कल इस को शौक़ से खाती है।

"या रसूलल्लाह आप पर जान कुरबान" के बाईस हुरूफ़ की निरखत से कुरबानी की खालें जम्अ करने वाले के लिये 22 निय्यतें और एहतियातें

दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ﴿1﴾ "मुसलमान की निय्यत उस के अमल से बेहतर है।" (مُعْجَم كَبِير ج 6 ص 185 حدیث 5942)

फ़रमाने मुख़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर एक दुरूद शरीफ़ पढ़ता है **अब्लाह** (بِرَّان)। उस के लिये एक क़ीरात अन्न लिखता और क़ीरात उद्दुद पहाड़ जितना है।

﴿2﴾ “अच्छी निय्यत बन्दे को जन्नत में दाख़िल कर देती है।”

(أَلْفَرَدَوْسُ بِمَأْثُورِ الْأَخْطَابِ ج ٤ ص ٣٠٥ حديث ٦٨٩٥)

दो म-दनी फूल : (1) बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अ-मले ख़ैर का सवाब नहीं मिलता (2) जितनी अच्छी निय्यतें ज़ियादा, उतना ही सवाब भी ज़ियादा।

﴿1﴾ रिज़ाए इलाही **عَزَّ وَجَلَّ** के लिये अच्छी अच्छी निय्यतें करता हूँ ﴿2﴾ हर हाल में शरीअत व सुन्नत का दामन थामे रहूंगा ﴿3﴾ कुरबानी की खालों के लिये भागदौड़ के ज़रीए दा'वते इस्लामी के साथ तआवुन करूंगा ﴿4﴾ कोई लाख बद सुलूकी करे मगर इज़हारे गुस्सा और ﴿5﴾ बद अख़्लाकी से परहेज़ कर के दा'वते इस्लामी की नामूस व इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करूंगा ﴿6﴾ कुरबानी की खालों के सबब लाख मस्रूफ़िय्यत हुई बिला उज़्रे शर-ई किसी भी नमाज़ की **जमाअत** तो क्या **तक्बीरे उला** भी तर्क नहीं करूंगा ﴿7﴾ पाक लिबास मअ इमामा शरीफ़ और तहबन्द शोपर वगैरा में डाल कर **नमाज़ों** के लिये साथ रखूंगा (हस्बे ज़रूरत बस्ते वगैरा पर भी रख सकते हैं। इस की खास ताकीद है, क्यूं कि ज़ब्ह के वक्त निकला हुआ खून नजासते ग़लीज़ा और पेशाब की तरह नापाक है और खालें जम्अ करने वाले का अपने कपड़े पाक रखना इन्तिहाई दुश्वार है। बहारे शरीअत जिल्द 1 सफ़हा 389 पर है : “**नजासते ग़लीज़ा** का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़ियादा लग जाए तो उस का पाक करना फ़र्ज़ है, बे पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और क़स्दन पढ़ी तो गुनाह भी हुआ और अगर ब निय्यते **इस्तिख़फ़ाफ़** (या'नी इस हुक्मे शरीअत को हलका जान कर) है तो **कुफ़्र** हुआ और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बे पाक किये नमाज़ पढ़ी तो मक्रूहे तहरीमी हुई या'नी ऐसी नमाज़ का इआदा वाजिब हुआ और

फ़रमाते मुखफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरुदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरश्ते उस के लिये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। (ग़ुराँ)

क़स्दन पढ़ी तो गुनहगार भी हुवा और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बे पाक किये नमाज़ हो गई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुई और इस का इआदा बेहतर है”) ﴿8﴾ मस्जिद, घर, मक्ताब और मद्रसे वग़ैरा की दरिय्यों, चटाइयों, कारपेट और दीगर चीज़ें ख़ून आलूद होने से बचाऊंगा (वुजूख़ाने के गीले फ़र्श या पाएदान वग़ैरा पर भी ख़ून आलूद पाउं समेत जाने से बचने और वुजू करते हुए ख़ूब एहतियात करने की ज़रूरत है वरना नजासत की आलू-दगी और नापाक पानी के छींटों से अपने साथ दूसरों को भी नापाक कर डालने का एहतिमाल रहेगा) ﴿9﴾ ख़ून आलूद बदबूदार कपड़ों समेत मस्जिद में नहीं जाऊंगा (बदबू न भी आती हो तब भी नापाक बदन या कपड़ा या चीज़ मस्जिद में ले जाना मन्अ़ है। ज़ख़्म फ़ोड़े, कपड़े, इमामे, चादर, बदन या हाथ मुंह वग़ैरा से बदबू आती हो तो तब भी मस्जिद के अन्दर दाख़िल होना हराम है। **फ़ैज़ाने सुन्नत** जिल्द अब्वल सफ़हा नीचे से 1217 पर है : मस्जिद को (बद) बू से बचाना वाजिब है व लिहाज़ा मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना **हराम**, मस्जिद में दिया सलाई (या’नी माचिस की तीली) सुलगाना **हराम**, हत्ता कि हदीस में इर्शाद हुवा : मस्जिद में कच्चा गोशत ले जाना जाइज़ नहीं। (ابن ماجه 1 ص 412 حديث 748) हालां कि कच्चे गोशत की (बद) बू बहुत **ख़फ़ीफ़** (या’नी हलकी) है) ﴿10﴾ क़लम, रसीद बुक, पेड, गिलास, चाय के पियाले वग़ैरा पाक चीज़ों को नापाक ख़ून नहीं लगने दूंगा (फ़तावा र-जविyyा मुख़र्रजा जिल्द 4 सफ़हा 585 पर है “पाक चीज़ को (बिला इजाज़ते शर-ई) नापाक करना हराम है”) ﴿11﴾ जो दूसरे इदारे को ख़ाल देने का वा’दा कर चुका होगा उस को बद अहदी का मश्वरा नहीं दूंगा (आसान तरीका येह है कि अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ आप सारा ही साल

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** (स्ल)। उस पर दस रहमते भेजता है।

मु-तवज्जेह रहिये और खुद ही पहल कर के खाल बुक करवा कर रखिये) ﴿12﴾ अपनी तै शुदा खाल अगर किसी सुन्नी इदारे का आदमी लेने नहीं पहुंचा, या ﴿13﴾ ग-लती से मेरे पास आ गई तो ब निय्यते सवाब उधर दे आऊंगा ﴿14﴾ जो खाल देगा हो सका तो उस को **मक-त-बतुल मदीना** का कोई रिसाला या पेम्फ्लेट तोहफ़तन पेश करूंगा ﴿15﴾ नीज़ उस को “**شُكْرِيَا، جَزَاكَ اللهُ**” कहूंगा (फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهُ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) का भी शुक्र अदा न किया। (त्रुम्दी ज ३, व ३८६, हदीथ १९६२) ﴿16﴾ खाल देने वाले पर इन्फ़रादी कोशिश कर के उस को सुन्नतों भरे इज्तिमाअ और ﴿17﴾ म-दनी काफ़िलों में सफ़र वगैरा की रबत दिलाऊंगा ﴿18﴾ बा'द में भी उस से राबिता रख कर खाल देने के एहसान के बदले में उसे म-दनी माहोल में लाने की कोशिश करूंगा अगर ﴿19﴾ वोह म-दनी माहोल में हुवा तो उसे म-दनी काफ़िले का मुसाफ़िर या ﴿20﴾ म-दनी इन्आमात का अमिल बनाऊंगा या ﴿21﴾ कोई न कोई मज़ीद म-दनी तरकीब करूंगा (जिम्मेदारान को चाहिये कि बा'द में वक्त निकाल कर खाल देने वालों का शुक्रिया अदा करने ज़रूर जाएं नीज़ इन सब मोहसिनीन को अलाकाई सत्ह पर या जिस तरह मुनासिब हो इकठ्ठा कर के मुख़सरन नेकी की दा'वत और लंगरे रसाइल वगैरा की तरकीब फ़रमाएं। रसाइल की दा'वते इस्लामी के चन्दे से नहीं जुदागाना तरकीब करनी होगी) ﴿22﴾ दूर व नज़्दीक जहां से भी खाल उठाने (या बस्ता या कोई सा काम संभालने) का जिम्मेदार इस्लामी भाई हुकम फ़रमाएंगे, बिला रद्दो कद इताअत करूंगा। (येह निय्यते बहुत कम हैं, इल्मे निय्यत से आशना मज़ीद बहुत सारी निय्यते निकाल सकता है)

फ़रमाने मुखफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शख़्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया। (طبرانی)

एक अहम शर-ई मस्अला

हमेशा कुरबानी की खालें और नफ़ली अतिरिक्तियात “कुल्ली इख़्तियारात” या’नी किसी भी नेक और जाइज़ काम में खर्च कर लिये जाएं इस निय्यत से इनायत फ़रमाया करें क्यूं कि अगर मख़सूस कर के दिया म-सलन कहा कि, “येह दा’वते इस्लामी के मद्रसे के लिये है” तो अब मस्जिद या किसी और मद (या’नी इन्वान) में इस का इस्ति’माल करना गुनाह हो जाएगा। लेने वाले को भी चाहिये कि अगर किसी मख़सूस काम के लिये भी चन्दा ले तो एहतियातन कह दिया करे कि हमारे यहां म-सलन दा’वते इस्लामी में और भी दीनी काम होते हैं, आप हमें “कुल्ली इख़्तियारात” दे दीजिये ताकि येह रक़म दा’वते इस्लामी जहां मुनासिब समझे वहां नेक और जाइज़ काम में खर्च करे। याद रहे! चन्दा देने वाला “हां” करे और वोह चन्दे या खाल वगैरा का अस्ल मालिक हो तो ही “इजाज़त” मानी जाएगी। लिहाज़ा चन्दा या खाल पेश करने वाले से पूछ लिया जाए कि येह किस की तरफ़ से है अगर किसी और का नाम बताए तो अब इस का “हां” करना मुफ़ीद न होगा अस्ल मालिक से फ़ोन वगैरा के ज़रीए राबिता करे। (जक़ात और फ़िज़ा देने वाले से कुल्ली इख़्तियारात लेने की हाज़त नहीं क्यूं कि येह “शर-ई हीले” के ज़रीए इस्ति’माल किये जाते हैं)

फ़ैज़ाने मदीना त्री कोनिया बगीचे के पास, मिरज़ा पूर, अहमद आबाद, गुजरात, इन्डिया।

www.dawateislami.net

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जि़क़्र हुवा और उस ने मुज़्न पर दुरूदे पाक न पढा तहकीक वोह बद बख़्त हो गया । (अिन)

म-दनी इल्लिजा : कुरबानी के तफ़्सीली मसाइल बहारे शरीअत जिल्द 3 सफ़हा 337 ता 353 में मुला-हज़ा फ़रमा लीजिये ।

**रक्से बिस्मिल की बहारें तो मिना में देखीं
दिले खूना ब फ़शां का भी तड़पना देखो**

(हदाइके बख़्शाश शरीफ़)

**صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُوبُوا إِلَى اللهِ ! اَسْتَغْفِرُ اللهُ
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

**الْحَصْمَةُ أَرْفَعُ الْعِبَادَةَ
ख़ामौशी आ'ला द-रख़े की इवादात है ।**

(الجامع الصغير للسُّنُوْطِي حَدِيث ٥١٥٨)

तालिबे ग़मे मदीना व
बकीअ व मग़ि़रत व
बे हिसाब जन्नतुल
फ़िरदौस में आका का
पड़ोस



21 जी का'दतिल हुराम 1432 हि.
18 अक्टूबर 2011 सि.ई.

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तकरीबात, इज्तिमाआत, आ'रास और जुलूसे मीलाद वगैरा में मक-त-बतुल मदीना के शाएअ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुशतमिल पेम्फ़लेट तक्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोहफ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने महल्ले के घर घर में माहाना कम अज़ कम एक अदद सुन्नतों भरा रिसाला या म-दनी फूलों का पेम्फ़लेट पढ़ुंका कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये ।

फ़ेहरिस्त

उन्वान	सफ़हा नम्बर	उन्वान	सफ़हा नम्बर
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	1	मरने के बा'द मज़्ज़ूम जानवर मुसल्लत हो सकता है	16
अब्लक़ घोड़े सुवार	1	कुरबानी के वक़्त तमाशा देखना कैसा ?	17
चार फ़रामीने मुस्तफ़्फ़ा صلى الله تعالى عليه و آله وسلم	2	ज़बीहा को आराम पहुंचाइये	18
क्या कर्ज़ ले कर भी कुरबानी करनी होगी ?	3	जानवर को भूका प्यासा ज़ब्द न करें	19
पुल सिरात की सुवारी	3	बकरी छुरी की तरफ़ देख रही थी	20
कुरबानी करने वाले बाल नाख़ुन न काटें	4	ज़ब्द के लिये टांग मत घसीटो !	20
ग़रीबों की कुरबानी	5	मख़्खी पर रहूम करना बाइसे मग़िफ़रत हो गया	21
मुस्तह़ब काम के लिये गुनाह की इजाज़त नहीं	5	मख़्खी को मारना कैसा ?	21
कुरबानी वाजिब होने के लिये कितना माल होना चाहिये	6	कुरबानी में अ़क़ीके का हिस्सा	22
वक़्त के अन्दर शराइत पाए गए तो ही कुरबानी वाजिब होगी	8	इज़्तिमाई कुरबानी का गोशत वज़्न कर के तक्सीम करना होगा	22
कुरबानी के 12 म-दनी फूल	8	अन्दाज़े से गोशत तक्सीम करने के दो हीले	22
ऐबदार जानवरों की तफ़्सील जिन की कुरबानी नहीं होती	10	कुरबानी के गोशत के तीन हिस्से	23
ज़ब्द में कितनी रंगें कटनी चाहिए ?	12	वसिय्यत की कुरबानी के गोशत का मस्अला	23
कुरबानी का तरीक़ा	13	छ सुवालात व जवाबात	24
कुरबानी का जानवर ज़ब्द करने से पहले यह दुआ पढ़ी जाए	14	चन्दे की रक़म से इज़्तिमाई कुरबानी के लिये गाए ख़रीदना	24
म-दनी इल्लिजा	14	गु-रबा को खालें लेने दीजिये	24
बकरी जन्तती जानवर है	15	खालों के लिये बे जा ज़िद मत कीजिये	25
जानवरों पर रहूम की अपील	15	सुन्नी मदारिस की खालें मत काटिये	26

उन्वान	सम्पुर्ण नम्बर	उन्वान	सम्पुर्ण नम्बर
सुन्नी मद्रसे को खाल खुद दे आइये	27	गुदूद	39
अपनी कुरबानी की खाल बेच दी तो ?	28	कपूरा	40
कस्साब के लिये 20 म-दनी फूल	29	ओझड़ी	40
गोसत के 22 अज्जा जो नहीं खाए जाते	37	कुरबानी की खालें जम्अ करने वाले के लिये 22 नियतें और एहतिवातें	40
खून	38	एक अहम शर-ई मस्अला	44
हराम मज्ज	39	म-दनी इलतिजा	45
पेट्टे	39	माखज व मराजेअ	47

माخذ ומراجع

مطبوعه	کتاب	مطبوعه	کتاب
ضیاء القرآن پبلی کیشنز مرکز الاولیاء لاہور	مراة المناجیح	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	قران پاک
کوئٹہ	احیاء المدعات	دارالکتب العلمیۃ بیروت	صحیح بخاری
دارالمعرفۃ بیروت	الترادیر عن اقترااف الکبائر	دارابن حزم بیروت	صحیح مسلم
دارالکتب العلمیۃ بیروت	مکاشفۃ القلوب	دارالفکر بیروت	سنن ترمذی
دارالکتب العلمیۃ بیروت	لطائف الیقین و الآخلاق	دارالمعرفۃ بیروت	سنن ابن ماجہ
دارالفکر بیروت	درۃ الناصحین	دارالفکر بیروت	مسند امام احمد
دارالکتب العلمیۃ بیروت	حیاء الاحیاء ان	دارالکتب العلمیۃ بیروت	سنن الکبری
داراحیاء التراث العربی بیروت	ہدایہ	دارالمعرفۃ بیروت	المستدرک
دارالمعرفۃ بیروت	در مختار و رد المحتار	داراحیاء التراث العربی بیروت	مجموعہ کبیر
دارالفکر بیروت	عائلیہ	دارالکتب العلمیۃ بیروت	شعب الایمان
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	بہار شریعت	دارالکتب العلمیۃ بیروت	الفردوس بماثور الخطاب
رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور	فتاویٰ رضویہ	دارالکتب العلمیۃ بیروت	الجامع الصغیر
مکتبۃ رضویہ باب المدینہ کراچی	فتاویٰ امجدیہ	دارالفکر بیروت	مرقاۃ المفاتیح

पहले कलेजी तनावुल फ़रमाते

सय्यिदुल मुर-सलीन, जनाबे रहूमतुल्लिल आ-लमीन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ईदे कुरबान के दिन कुछ न खाते थे, जब तक (ईद की नमाज़ पढ़ कर) वापस तशरीफ़ न ले आते फिर अपनी कुरबानी से (गोश्त) तनावुल फ़रमाते ।¹ दूसरी रिवायत में है : अपनी कुरबानी (के गोश्त में) से कलेजी तनावुल फ़रमाते ।²

ईदे कुरबान की नमाज़ से पहले खाना कैसा ?

❁ मुस्तहब यह है कि ईदे कुरबान के दिन सब से पहले कुरबानी का गोश्त खाए³ ❁ ईदे कुरबान में मुस्तहब यह है कि नमाज़ से पहले कुछ न खाए अगर्चे कुरबानी न करें और खा लिया तो मक्रूह नहीं ।⁴

❁

1: مُسْتَدْرَأُ إِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ج ٩ ص ١٧ حَدِيثٌ ٤٥-٢٣

2: مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالْأَثَرِ لِلْبَيْهَقِيِّ ج ٣ ص ٣٥ حَدِيثٌ ١٨٨٦

3: الْهِنَابَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ ج ٣ ص ١٢١ | 4 : बहारे शरीअत, जि. 1, स. 784 मुलख़ब़सन ।